


विद्यार्थियों को कानूनी सुरक्षा की दी जानकारी



जागरूकता कार्यक्रम में छात्रों को जागरूक करते शिक्षक। संस्था

अंबाला। छावनी के गांधी मेमोरियल नेशनल कॉलेज में कानूनी साक्षरता प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। यह कार्यक्रम प्राचार्य डॉ. रोहित दत्त और कानूनी साक्षरता प्रकोष्ठ के संयोजक डॉ. सुरेन्द्र कुमार के मार्गदर्शन में किया गया।

इस दौरान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अंबाला के कार्यालय से पैरा-लीगल वालंटियर एडवोकेट रमनीक ने संसाधन व्यक्ति के रूप में कार्य किया और पोक्सो अधिनियम पर एक व्यावहारिक सत्र दिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को इस अधिनियम के तहत प्रदान की गई कानूनी सुरक्षा और बाल यौन अपराधों को रोकने में जागरूकता के महत्व के बारे में शिक्षित करना था। सहायक प्रोफेसर जसमीता हांडा ने मंच का संचालन किया। वहीं सहायक प्रोफेसर रीतिका ने तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में मौजूद रही।

इस कार्यक्रम में 60 छात्रों ने सक्रिय रूप से चर्चा में भाग लिया। जिसके कारण छात्रों की कानूनी साक्षरता और पोक्सो अधिनियम की समझ बढ़ी। इस पहल ने छात्रों के लिए एक अच्छी तरह से सूचित और सुरक्षित वातावरण को बढ़ावा देने के लिए कॉलेज की प्रतिबद्धता को उजागर किया। संवाद